[2021] 4 उम. नि. प. 34

आय-कर आयुक्त, चेन्नई

बनाम

मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद

[2021 की सिविल अपील सं. 6204]

7 अक्तूबर, 2021

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) – धारा 143(3) और 263(2) – निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए निर्धारिती-प्रत्यर्थी की आय के किए गए निर्धारण को पुनरीक्षण में आय-कर आयुक्त द्वारा गलत और राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त किया जाना – निर्धारिती द्वारा आयुक्त के पुनरीक्षण आदेश को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती दिया जाना – अपील अधिकरण द्वारा आयुक्त के आदेश को अभिखंडित किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा अपील अधिकरण के आदेश की पुष्टि किया जाना – परिसीमा काल की गणना करने के लिए सुसंगत तारीख – परिसीमा काल की गणना करने के लिए सुसंगत तारीख आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने की तारीख होगी न कि निर्धारिती द्वारा आदेश प्राप्त करने की तारीख, इसलिए जहां निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए आयुक्त द्वारा तारीख 26 मार्च, 2012 को पारित आदेश पारित किया गया हो, जिसके लिए सुसंगत अंतिम तारीख 31 मार्च, 2012 थी, वहां ऐसे आदेश को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं किया जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी ने आय-कर अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए एक निर्धारण आदेश तारीख 30 दिसंबर, 2010 के निर्धारण आदेश द्वारा पारित किया था । आय-कर आयुक्त ने विद्वान् निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए निर्धारण आदेश का पुनरीक्षण करने के

लिए अधिनियम की धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाही आरंभ की और इस अपील में प्रत्यर्थी-निर्धारिती को तारीख 1 फरवरी, 2012 को एक सूचना जारी की । प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तारीख 7 मार्च, 2012 और 12 मार्च, 2012 को लिखित दलीलें फाइल कीं । विद्वान् आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के अधीन तारीख 26 मार्च, 2012 को एक आदेश यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किया कि निर्धारण अधिकारी सुसंगत और आवश्यक जांच करने और मस्तिष्क का सम्यक् प्रयोग करने के पश्चात् आय का सही निर्धारण करने में असफल रहा था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन किए गए निर्धारण आदेश को गलत और राजस्व विभाग के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अभिनिर्धारित किया गया । विद्वान् आयुक्त ने निर्धारण आदेश को अपास्त कर दिया और निर्धारण अधिकारी को धारा 263 के अधीन आदेश में वर्णित पहलुओं पर आवश्यक जांच करने का निदेश दिया । विद्वान् आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए आदेश को प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई । प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तारीख 29 नवंबर, 2012 को विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष यह निवेदन करते हुए एक अपील फाइल की कि उसे पुनरीक्षण आदेश के बारे में केवल तब पता चला था जब उसे निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(2) के अधीन तारीख 6 अगस्त, 2012 की सूचना प्राप्त हुई थी । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने निर्धारण अधिकारी को विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था जो उसे तारीख 29 नवंबर, 2012 को दी गई थी । विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी-निर्धारिती का यह पक्षकथन था कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित/वर्णित परिसीमा-काल के परे था । विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण ने तारीख 4 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से दी गई दलील को स्वीकार किया और निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील को यह अभिनिर्धारित करते हुए मंजूर किया कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किया गया पुनरीक्षण

आदेश परिसीमा-काल के परे पारित किया गया था । राजस्व विभाग द्वारा आय-कर अपील अधिकरण के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई और विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश की पुष्टि की गई । राजस्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के स्पष्ट पठन से यह देखा जा सकता है कि, जैसा कि धारा 263 की उपधारा (2) द्वारा आदिष्ट किया गया है, अधिनियम की धारा 263 के अधीन कोई आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसमें वह आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण चाहा गया है, पारित किया गया था, अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं "**किया**" जाएगा । अत: प्रयुक्त किया गया शब्द "**किया**" है न कि निर्धारिती द्वारा "**प्राप्त किए गए**" आदेश । यहां तक कि धारा 263(2) में "**प्रेषित**" शब्द का भी उल्लेख नहीं है । अत: जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि धारा 263 के अधीन आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था/पारित किया गया था जिसमें पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश पारित किया गया था, ऐसे आदेश को अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित परिसीमा-काल से परे होना नहीं कहा जा सकता है । धारा 263 के अधीन पारित आदेश की निर्धारिती द्वारा प्राप्ति से आय-कर अधिनियम की धारा 263 के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल की गणना करने के प्रयोजनार्थ कोई सुसंगतता नहीं है । प्रस्तुत मामले में, विद्वान् आयुक्त द्वारा आदेश तारीख 26 मार्च, 2012 को किया गया/पारित किया गया था और विभाग के अनुसार इसे तारीख 28 मार्च, 2012 को प्रेषित किया गया था । धारा 263 के अधीन आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत अंतिम तारीख, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्धारण वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए था, 31 मार्च, 2012 होगी और निर्धारिती-प्रत्यर्थी के पक्षकथन के अनुसार उसे आदेश शायद तारीख 29 नवंबर, 2012 को प्राप्त हुआ था । तथापि, जैसा कि इसमें ऊपर मत

व्यक्त किया गया है, वह तारीख जिसको धारा 263 के अधीन आदेश निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल की संगणना/विचार करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है । अत: उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के उपबंध का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया था । यदि उच्च न्यायालय और विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा किए गए निर्वचन को स्वीकार किया जाता है, तो उस दशा में यह अधिनियम की धारा 263(2) के उपबंध का अतिक्रमणकारी होगा और ऐसी बात जोड़ना होगा जो कि धारा में नहीं है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, प्रयुक्त किया गया शब्द "**किया**" है न कि "**आदेश की प्राप्ति**" है । विधि के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार कानून/अधिनियम का उपबंध वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है और कानून के उपबंध में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाना चाहिए । अत: उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि विद्वान् आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित परिसीमा-काल द्वारा वर्जित था । (पैरा 4.3)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल अपील सं. 6204.

2019 की कर मामला अपील सं. 429 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 3 जुलाई, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रमजीत बनर्जी, अपर महा सालिसिटर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. शिवरमन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – राजस्व विभाग ने 2019 के कर मामला अपील सं. 429 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2019 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा फाइल की गई उक्त अपील खारिज कर दी थी और 2012 की आय-कर

अपील सं. 2244/मद्रास में विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा तारीख 4 अप्रैल, 2013 को पारित किए गए आदेश की पुष्टि की थी ।

2. प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं :–

2.1 निर्धारण अधिकारी ने आय-कर अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 143(3) के अधीन निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए एक निर्धारण आदेश तारीख 30 दिसंबर, 2010 के निर्धारण आदेश द्वारा पारित किया था । आय-कर आयुक्त ने विद्वान् निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए निर्धारण आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए अधिनियम की धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाही आरंभ की और इस अपील में प्रत्यर्थी-निर्धारिती को तारीख 1 फरवरी, 2012 को एक सूचना जारी की । प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तारीख 7 मार्च, 2012 और 12 मार्च, 2012 को लिखित दलीलें फाइल कीं । विद्वान् आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के अधीन तारीख 26 मार्च, 2012 को एक आदेश यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किया कि निर्धारण अधिकारी सुसंगत और आवश्यक जांच करने और मस्तिष्क का सम्यक् प्रयोग करने के पश्चात् आय का सही निर्धारण करने में असफल रहा था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन किए गए निर्धारण आदेश को गलत और राजस्व विभाग के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अभिनिर्धारित किया गया । विद्वान् आयुक्त ने निर्धारण आदेश को अपास्त कर दिया और निर्धारण अधिकारी को धारा 263 के अधीन आदेश में वर्णित पहलुओं पर आवश्यक जांच करने का निदेश दिया । विद्वान् आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए आदेश को प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश आयुक्त के कार्यालय द्वारा तारीख 28 मार्च, 2012 को प्रेषित किया गया था ।

2.2 प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तारीख 29 नवंबर, 2012 को विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष यह निवेदन करते हुए एक अपील फाइल की कि उसे पुनरीक्षण आदेश के बारे में केवल तब पता चला था

जब उसे निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(2) के अधीन तारीख 6 अगस्त, 2012 की सूचना प्राप्त हुई थी । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने निर्धारण अधिकारी को विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था जो उसे तारीख 29 नवंबर, 2012 को दी गई थी । विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी-निर्धारिती का यह पक्षकथन था कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित/वर्णित परिसीमा-काल के परे था । विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण ने तारीख 4 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से दी गई दलील को स्वीकार किया और निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील को यह अभिनिर्धारित करते हुए मंजूर किया कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किया गया पुनरीक्षण आदेश परिसीमा-काल के परे पारित किया गया था ।

2.3 विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किए गए पुनरीक्षण आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित परिसीमा-काल के परे था, पारित किए गए आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर राजस्व विभाग-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विधि का सारवान् प्रश्न उठाते हुए अपील फाइल की :–

> "क्या मामले के तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में अधिकरण ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया था और यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि आय-कर आयुक्त का धारा 263 के अधीन तारीख 31 दिसंबर, 2010 के निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करते हुए तारीख 26 मार्च, 2012 का पुनरीक्षण आदेश यह धारणा करते हुए कि निर्धारण आदेश पारित करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2012 है और इस आधार पर आदेश तारीख 29 नवंबर, 2012 को तामील किया गया था, धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं ?"

2.4 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी और विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि की कि विद्वान् आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश परिसीमा द्वारा वर्जित था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह तारीख जिसको प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा आदेश प्राप्त किया गया था, अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन परिसीमा-काल का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत तारीख है ।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर राजस्व विभाग-अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की है ।

3. राजस्व विभाग-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महा सालिसिटर, श्री विक्रमजीत बनर्जी ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय तथा विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण दोनों ने अधिनियम की धारा 263, विशिष्ट रूप से धारा 263 की उपधारा (2) के उपबंध का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन तारीख 26 मार्च, 2012 को पारित किया गया पुनरीक्षण आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल द्वारा वर्जित था ।

3.1 यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके तात्विक गलती की है कि धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा द्वारा इस आधार पर वर्जित है कि धारा 263 के अधीन आदेश प्रत्यर्थी-निर्धारिती पर तारीख 29 नवंबर, 2012 को तामील किया गया था जो कि उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् था जिसमें आदेश का पुनरीक्षण चाहा गया था ।

3.2 विद्वान् अपर महा सालिसिटर द्वारा यह पुरजोर दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि धारा 263(1) के अधीन कोई आदेश संबंधित वित्तीय वर्ष की

समाप्ति से दो वर्ष के पर्यवसान के पश्चात् नहीं 'किया जाएगा' और प्रस्तुत मामले में धारा 263 के अधीन आदेश पारित करने की सुसंगत तारीख 31 मार्च, 2012 होगी । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में आदेश वास्तव में तारीख 26 मार्च, 2012 को पारित किया गया था और वास्तव में प्रेषित तारीख 28 मार्च, 2012 को किया गया था । यह दलील दी गई कि अत: विद्वान् आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित परिसीमा-काल के भीतर था ।

3.3 प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री आर. शिवरमन ने प्रति-शपथ-पत्र के पैरा 15 का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि अधिनियम की धारा 263 के अधीन विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश पर इसे विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा अपास्त किए जाने से पूर्व कार्रवाई की गई थी और उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा एक नया निर्धारण आदेश पारित किया गया था । यह दलील दी गई थी कि अत: प्रस्तुत दलील में अंतर्वलित विवाद्यक सैद्धांतिक बन गया है ।

4. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को विस्तार से सुना । यद्यपि प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से यह पक्षकथन है कि अब प्रस्तुत अपील में अंतर्वलित विवाद्यक सैद्धांतिक बन गया है, इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रस्तुत अपील में उठाया गया विधि का प्रश्न विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न है और इसलिए हम उक्त विधि के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आनत हैं ।

4.1 विधि का संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पैदा होता है, यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय और विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि विद्वान् आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल द्वारा वर्जित था या नहीं ? क्या उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि आय-कर अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन परिसीमा-काल पर विचार करने

के प्रयोजनार्थ सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिसको विद्वान् आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया है ?

4.2 पूर्वोक्त विवाद्यकों और विधि के प्रश्न का विनिश्चय करते हुए, आय-कर अधिनियम की धारा 263(2) को, जो हमारे विचार के लिए सुसंगत है, निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित है :–

> "(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण चाहा गया है, पारित किया गया था, अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"

4.3 धारा 263 की उपधारा (2) के स्पष्ट पठन से यह देखा जा सकता है कि, जैसा कि धारा 263 की उपधारा (2) द्वारा आदिष्ट किया गया है, अधिनियम की धारा 263 के अधीन कोई आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसमें वह आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण चाहा गया है, पारित किया गया था, अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं "**किया**" जाएगा । अत: प्रयुक्त किया गया शब्द "**किया**" है न कि निर्धारिती द्वारा "**प्राप्त किए गए**" आदेश । यहां तक कि धारा 263(2) में "**प्रेषित**" शब्द का भी उल्लेख नहीं है । अत: जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि धारा 263 के अधीन आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था/पारित किया गया था जिसमें पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश पारित किया गया था, ऐसे आदेश को अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित परिसीमा-काल से परे होना नहीं कहा जा सकता है । धारा 263 के अधीन पारित आदेश की निर्धारिती द्वारा प्राप्ति से आय-कर अधिनियम की धारा 263 के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल की गणना करने के प्रयोजनार्थ कोई सुसंगतता नहीं है । प्रस्तुत मामले में, विद्वान् आयुक्त द्वारा आदेश तारीख 26 मार्च, 2012 को किया गया/पारित किया गया था और विभाग के अनुसार इसे तारीख 28 मार्च, 2012 को प्रेषित किया गया था । धारा 263 के अधीन आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत अंतिम तारीख, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्धारण वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए था, 31

मार्च, 2012 होगी और निर्धारिती-प्रत्यर्थी के पक्षकथन के अनुसार उसे आदेश शायद तारीख 29 नवंबर, 2012 को प्राप्त हुआ था । तथापि, जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, वह तारीख जिसको धारा 263 के अधीन आदेश निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा-काल की संगणना/विचार करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है । अत: उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के उपबंध का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया था । यदि उच्च न्यायालय और विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा किए गए निर्वचन को स्वीकार किया जाता है, तो उस दशा में यह अधिनियम की धारा 263(2) के उपबंध का अतिक्रमणकारी होगा और ऐसी बात जोड़ना होगा जो कि धारा में नहीं है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, प्रयुक्त किया गया शब्द "**किया**" है न कि "**आदेश की प्राप्ति**" है । विधि के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार कानून/अधिनियम का उपबंध वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है और कानून के उपबंध में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाना चाहिए । अत: उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि विद्वान् आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित परिसीमा-काल द्वारा वर्जित था ।

5. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, विरचित विधि के प्रश्न का उत्तर राजस्व विभाग-अपीलार्थी के पक्ष में और निर्धारिती-प्रत्यर्थी के विरुद्ध दिया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विद्वान् आयुक्त द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (2) के अधीन विहित परिसीमा-काल के भीतर था । तद्नुसार यह अपील मंजूर की जाती है । खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.